न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलतराम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 78/2016

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. मोहनलाल पुत्र कानाराम 2. दाखु देवी पत्नि कानाराम, जातिगण सिरवी, निवासीगण बरफो का खारचियो, बगडीनगर, तह0 सोजत राज0।	1. सरकार जरिये (भूमि—धारक)	तहसीलदार सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री भुण्डाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— **दिनांक — 19.01.2021**

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बगडी चक—1, तहसील सोजत जिला पाली में प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम पुत्र हुकाराम जाति सिरवी की अन्य सह खातेदारी की मौजा बगडी चक —1 में खाता संख्या 178 के खसरा नम्बर 141, 146, 155 से 161, 169, 170 कुल किता खसरा 11 कुल रकबा 38.4200 हैक्टर, खाता संख्या 73 के खसरा नम्बर 1859 से 1864, 1867, 1874, 1917, 1919 से 1929 कुल किता खसरा 20 कुल रकबा 16.3000 हैक्टर, खाता संख्या 77 के खसरा नम्बर 302, 303, 310 कुल रकबा 4.3600 हैक्टर उपरोक्त खसरा जोत की भूमि के पद 01 क.ख. में प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम पुत्र हुकमाराम का 1/12 हिस्सा तथा पद 01 ग. में प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम का 1/3 खातेदारी हक हकूकक कब्जा काश्त का है। उपरोक्त कृषि जोत की भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण के पिता/पति के जीवनकाल तक उनका रहा तथा उनके स्वर्गवास दिनांक 26.10.2014 के बाद कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या क. में दर्ज कृषि जोत की भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम तथा प्रार्थी मोहनलाल के काका चौथाराम, डूंगाराम तीनों का संयुक्त 1/8 वां हिस्सा खातेदारी हकक हकूक का सम्वत् 2030 से 2033 खसरा परिवर्तनशील से बखूबी साबित है। उक्त सैटलमेंट के बाद रेकर्ड से लिपिकीय त्रुटि व

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

सहवन से हटा दिया, जबकि आज भी मौके पर 1/24 हिस्से पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का बिना रोक टोक के चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या ख.ग. में अंकित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम पुत्र हुकाराम का नाम इन्द्राज है। जिससे बखूबी साबित है कि कानाराम पुत्र हुकाराम का नाम पद संख्या क. में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सहवन व लिपिकीय त्रुटि से नाम हट गया है। प्रार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.11.2015 को राजस्व रेकर्ड में जमाबन्दियों की नकलें लेने पर हुई है। इस पर अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 का मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 क. के पुराना खाता संख्या 178 तथा नया खाता संख्या 186 के खसरा नम्बर 141, 146, 155 से 161, 169, 170 कुल खसरा 11 कुल रकबा 38.4200 हैक्टर की कृषि जोत की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम पुत्र हुकाराम का 1/24 हिस्सा दर्ज किए जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 08.06.2017 तथा अन्य जबाब पेश किया, सा0मि0 किया गया। जबाब दिनांक 08.06.2017 के पश्चात् मौका रिपोर्ट मंगवाई सा0मि0 है। तहसीलदार सोजत से पत्रांक/कोर्ट/2019/35 दिनांक 16.01.2019 व 91 दि0 04.02.2019 द्वारा उक्त विवादित आराजी की वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2020/4640 दिनांक 07.01.2020 द्वारा रिपोर्ट पेश की। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा अंकित किया कि ग्राम बगडी चक–1 के खसरा संख्या 141, 146, 155 से 161, 169, 170 पर मौके मय रेकर्ड पहुँचा। रूबरू मौत बिरान पूछने पर पाया कि उक्त खसरा नंम्बर में (प्रार्थना पत्र के अनुसार काना वल्द हुका) मौके पर काना वल्द हुका के हिस्से पर (फौत) मोहनलाल वल्द काना का कब्जा है। मौत बिरान ने बताया कि उक्त खसरा नम्बर की भूमि में काना नाम के दो काश्तकार होने के कारण काना (फौत) वल्द हुका का नाम सेवन से हट गया। रूबरू मौतबिरान ने बताया कि मौके पर कब्जा मोहनलाल वल्द काना (प्रार्थना पत्र के अनुसार काना वल्द हुका) का कब्जा है। मौका फर्द मौके पर बनाई गई। रूबरू मौतबिरान पढकर सुनाई गई व दस्तखत करवाये गये। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने दिनांक 18.08.2020 को अन्य जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित बिन्दु 1 के तथ्यों को स्वीकार कर, 2 से 4 को प्रार्थी स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने, बिन्दु 5 को अस्वीकार कर तथा 6 व 7 बिन्दु कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का होना अंकित कर प्रा0 पत्र मय हर्जे के खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, सेटलमेंट विभाग की जमाबन्दियॉ सम्वत् 2028 की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने व्यक्त किया कि प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम पुत्र हुकाराम 1/24 हिस्सा प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 क. के पुराना खाता संख्या 178 तथा नया खाता संख्या 186 के खसरा नम्बर 141, 146, 155 से 161, 169, 170 कुल खसरा 11 कुल रकबा 38.4200 हैक्टर की कृषि जोत की भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता/पति कानाराम पुत्र हुकाराम का 1/24 हिस्सा दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत ने प्रस्तुत प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पोषणीय नहीं होने से चूंकि किसी पक्षकार का नाम जोड़े जाने/हटाये जाने के अधिकार धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1936 के तहत नहीं होने अर्थात् धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 के तहत वाद पेश करने पर ही दस्तावेजी साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही घोषणा की जा सकती है। लिहाजा उक्त प्रा0 पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत दस्तावेजात तथा प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड व मौका रिपोर्ट तहसीलदार, सोजत का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार प्रार्थीगण के पिता तथा वर्णित अन्य खातेदार काना पुत्र हुका के हक अधिकारों का प्रश्न है, तय दुरूस्ती के प्रा0 पत्र के अन्तर्गत निर्धारण/विनिश्चित नहीं किये जाते हैं। बल्कि घोषणा का वाद पेश करने पर बाद विवेचन/विश्लेषण साक्ष्यों सबूतों के आधार पर ही हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के अन्तर्गत ऐसे अधिकार निहित नही होने से अर्थात घोषणा के वाद के जरिए ही हक अधिकार तय किया जाना अधिकार क्षेत्र में होने से प्रा0 पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया गया है। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पोषणीय नहीं होने से सारहीन, तथ्यहीन, आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों तथा प्रार्थीगण के पिता तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रा0 पत्र में वर्णित अन्य खातेदार काना पुत्र हुका के हक अधिकारों का प्रश्न है, तय दुरूस्ती के ऐसे प्रा0 पत्र के अन्तर्गत निर्धारण/विनिश्चित नहीं किये जाते हैं। बल्कि घोषणा का वाद पेश करने पर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

बाद विवेचन/विश्लेषण साक्ष्यों सबूतों के आधार पर ही हक अधिकार निर्धारित किये जाते है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के अन्तर्गत ऐसे अधिकार निहित नही होने से अर्थात घोषणा के वाद के जरिए ही हक अधिकार तय किया जाना अधिकार क्षेत्र में होने से प्रा0 पत्र क्लीन हैण्ड से पेश नहीं किया गया है। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पोषणीय नहीं होने से सारहीन, तथ्यहीन, आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद पेश करने तथा अन्य चाराजोही हेतु स्वतंत्र रहेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत